



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP14935840824045Y

e-Stamp

Certificate No.

I 3288/26

IN-UP14935840824045Y

Certificate Issued Date

18-Feb-2026 11:04 AM

Account Reference

SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUPSHCIL0124160161553903Y

Purchased by

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document

Article 23 Conveyance

Property Description

VILL-DONA, GATA NO-2340 ETC, TOTAL AREA-0.2008 HEC LUCKNOW

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

RAM KHELAWAN KANAUIJA

Second Party

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By

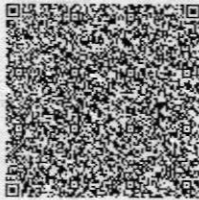
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.)

3,93,610

(Three Lakh Ninety Three Thousand Six Hundred And Ten only)

₹3,93,610



Please write or type below this line

IN-UP14935840824045Y

राम खेलावन कानौजिया



[Signature]



PF

0026415656

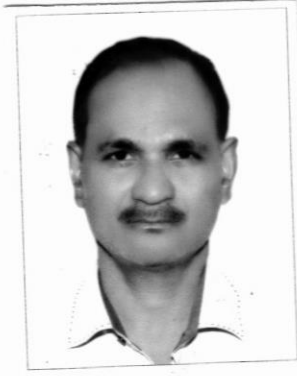
Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHIL



005847 248500



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 56,22,400/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 14,05,600/-
 5. जनरल स्टाम्प - 3,93,610/-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP14935840824045Y व दिनांक 18-02-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 2340 का कुल रकबा 0.4090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0909हे०,
खसरा सं० 202 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029हे०,
खसरा सं० 2790 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0617हे०,
खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.1020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0453हे०,
कुल रकबा 0.6630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2008हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.2008हे०
11. सड़क की स्थिति - किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-202515701041066709 आवेदक श्री राम खेलावन

श्री राम खेलावन काकाजी (डी०)



पुत्र रामलाल के नाम अपर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 07.01.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

रामखेलाबन करणी सिपा



भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) — नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या— 3541

15. पूरब — गाटा संख्या — 3542
16. पश्चिम — गाटा संख्या — 3538
17. उत्तर — गाटा संख्या — 3556
18. दक्षिण — गाटा संख्या — 3540

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री राम खेलावन कन्नौजिया पुत्र राम लाल, निवासी — दोना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 8736 9491 6337 मो० नं० 7080868096 पैन नं० CGEPK8077K

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत — वरूण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा — श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम — सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग — लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद — लखनऊ मो० — 9540244993

पैन संख्या — AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.2008 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशों हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिग रुपये 56,22,400/—(रुपये छप्पन लाख बाईस हजार चार सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिग रुपये 28,11,200/—(रुपये अठाईस लाख ग्यारह हजार दो सौ मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरूण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत

राम खेलावन कन्नौजिया



आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रणगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

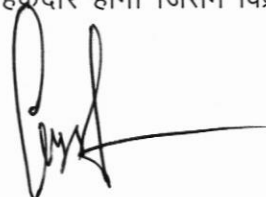
भूमिधरी आराजी खसरा सं० 2340 का कुल रकबा 0.4090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0909हे०, खसरा सं० 202 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 2790 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0617हे०, खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.1020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0453हे०, कुल रकबा 0.6630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2008हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 56,22,400/- (रुपये छप्पन लाख बाईस हजार चार सौ मात्र) विक्रेता श्री राम खेलावन कन्नौजिया पुत्र राम लाल उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 538242 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई

राम खेलावन कन्नौजिया



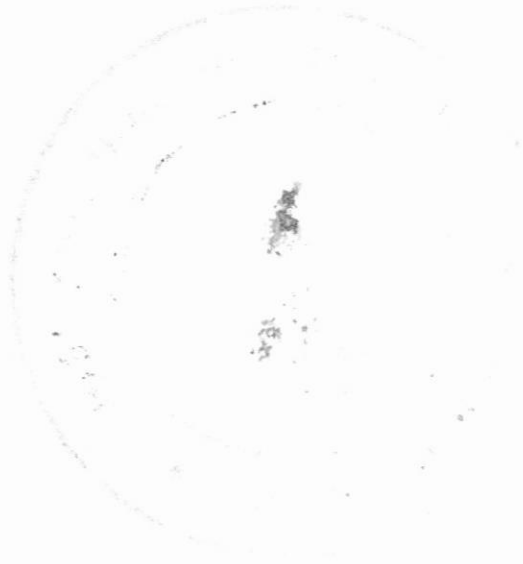


आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक- 21/11/2026

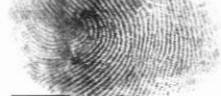
रामेश्वर लाल कानूनी डिप्टी





र. शिवलालजी कठोरीजीया

हस्ताक्षर विक्रेता



गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018

मोबाइल संख्या - 6387717976

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह - 02

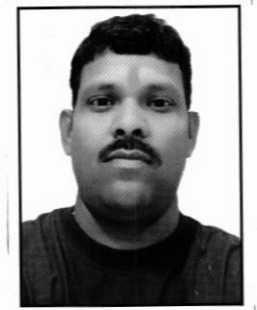
नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318

मोबाइल संख्या - 7081100818



हस्ताक्षर विक्रेता



हस्ताक्षर क्रेता

टाइपकर्ता

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक

श्री दान बहादुर मल्लिक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मो0 6386063529



आवेदन सं०: 202601041007989

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

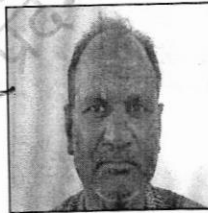
रजिस्ट्रेशन सं०: 3288

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 5622400 स्टाम्प शुल्क- 393610 बाजारी मूल्य - 1405600 पंजीकरण शुल्क - 56230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 56290

श्री राम खेलावन,
पुत्र श्री राम लाल
व्यवसाय: अन्य
निवासी: दोना

राम खेलावन एल्ला डिफ



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/02/2026 एवं 03:22:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

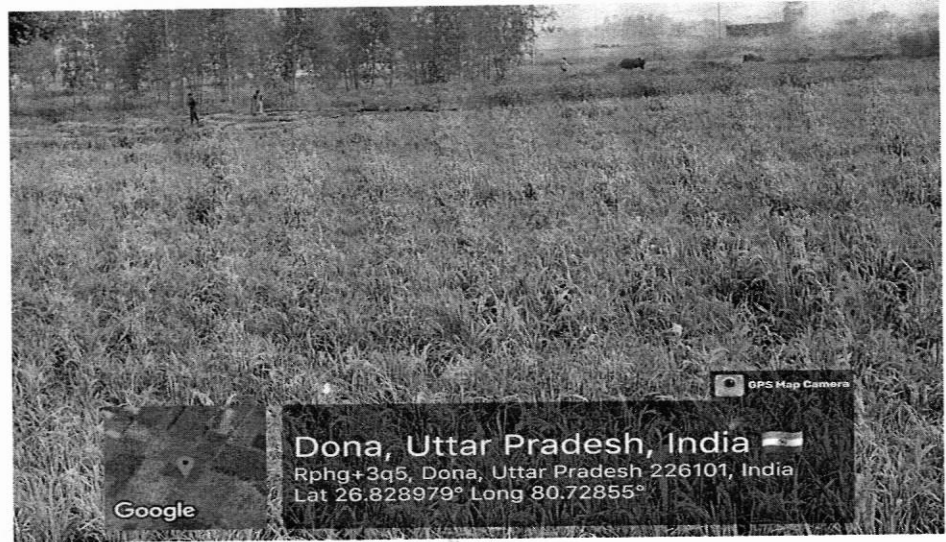
संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
23/02/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक
23/02/2026



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 2340 का कुल रकबा 0.4090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0909हे०, खसरा सं० 202 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 2790 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0617हे०, खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.1020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0453हे०, कुल रकबा 0.6630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2008हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

रामेश्वर लाल काकोरी

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041007989

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3288

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री राम खेलावन,

[RAM KHELAWAN KANAUIYA

पुत्र श्री राम लाल

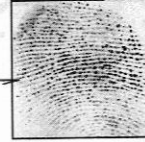
निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 077K

क्रेता: 1

राम खेलावन कानौजिया



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

.....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



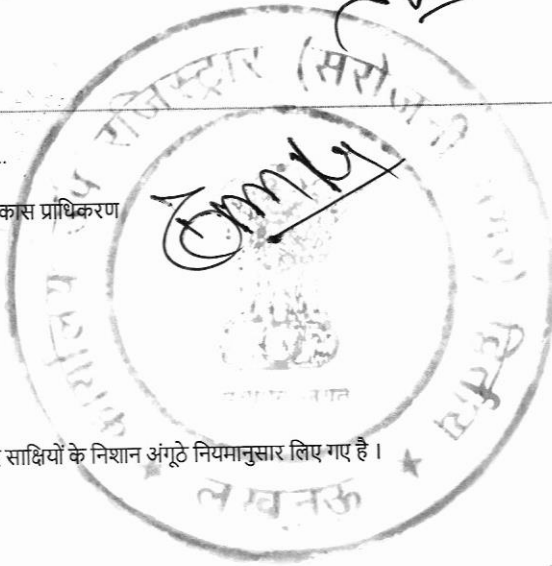
श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:



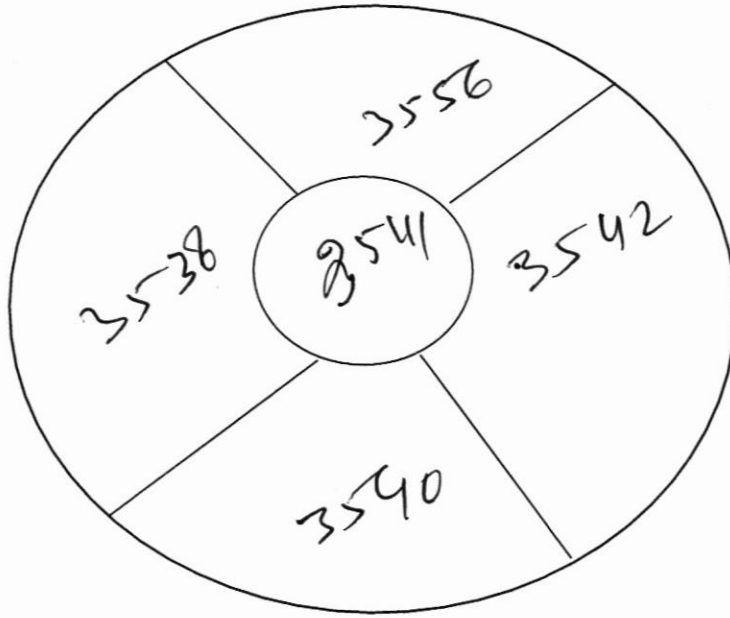
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
23/02/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक लखनऊ
23/02/2026

0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 2340 का कुल रकबा 0.4090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0909हे०, खसरा सं० 202 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 2790 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0617हे०, खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.1020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0453हे०, कुल रकबा 0.6630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2008हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



रामशैलजीकाकोरी
विक्रेता के हस्ताक्षर

केता
केता के हस्ताक्षर

आवेदन सं०: 202601041007989

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2123 के पृष्ठ 239 से 256 तक क्रमांक 3288 पर दिनांक 23/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

23/02/2026

